राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

''बाल संरक्षण विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण'' जिला-झालावाड़

(06-07 अप्रैल 2017)

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण विषय पर पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 6-7 अप्रैल 2017 को विधिक सहायता समिति सभागार, झालावाड़ में आयोजित किया गया। सत्र के आरम्भ में विश्वास शर्मा परामर्शदाता, आर.पी.ए.के द्वारा कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बच्चों के साथ व्यवहार के लिए दक्षता देना तथा उन पर लागू कानूनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की जानकारी देना बताया जिससे कि समस्त हित धारक बाल अधिकारों एवं पुलिस प्रक्रियाओं में व्याप्त अन्तर को ठीक कर बच्चों के सर्वोतम हित में कार्य कर सके। यदुराज शर्मा सलाहकार यूनीसेफ ने बाल अधिकारों पर व्याख्यान दिया जिसमें बच्चों को यह अधिकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग एवं नस्ल के भेदभाव के बिना प्राप्त होने की बात कही। उन्होने ने बच्चों को जीवन स्तर एवं उनके उपयुक्त शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न पहलूओं पर बात कही।

कुशाल सिंह राजपुरोहित, अति. पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ ने प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए बच्चों को देश के भविष्य बताते हुए उनकी सुरक्षा का मुख्य दायित्व पुलिस का बताया। उन्होने पुलिस सहित सभी विभागों को बच्चों के प्रकरणों में संवेदनशील होकर मामलों का निस्तारण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सुनील शर्मा श्रम कल्याण अधिकारी ने बाल मजदूरी का बच्चों पर पडने वाले शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए बाल श्रम (प्रतिबन्ध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के बारे में बताया। उन्होने अधिनियम में बच्चों के काम के घंटो को कम करना, न्यूनतम मजदूरी और स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही।

प्रतिमा सिंह, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, झालावाड़ ने कहा कि साझी रणनीति से ही बच्चों की बेहतरी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर चर्चा करते बाल कल्याण समिति के कार्यो एवं पुलिस की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। हनुमान सिंह गुर्जर एसडीएम ने बाल विवाह पर पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं के बारे में जानकारियां दी।

श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, अति. पुलिस अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने महिला एवं बाल डेस्क की अवधारणा, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने पीडित बालिकाओं के संदर्भ मं कहा कि इनके लिए कार्यवाही प्रक्रियाओं के साथ ही मानसिक सलाह एवं परामर्श की पुनर्वास में महिला एवं बाल डेस्क की अधिक व्यावहारिक भूमिकाएं बतायी।

डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर, ने समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श सेवाओं की आवश्यकता बतायी एवं बच्चों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए कहा। राजेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ ने जिले में बालश्रम की स्थितियों पर प्रकाश डाला एवं सभी एजेन्सियों को मिलजुल कर समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही। प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर एवं यूनिसेफ के सहयोग से जिला पुलिस झालावाड़ के प्रबन्धन में किया गया।

प्रशिक्षण का आयोजन कायर्क्रम की कोर्स डायरेक्टर श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, अति. पुलिस अधीक्षक आर.पी.ए., जयपुर के निर्देशन में आयोजित किया गया जिसमें धीरज वर्मा, यदुराज शर्मा, विश्वास शर्मा ने समन्वयन के लिए कार्य किया। प्रशिक्षण में जिले के पुलिस अधिकारियों सहित किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के 50 सदस्यों ने भाग लिया। राजस्थान पुलिस अकादमी यूनिसेफ के सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रम विभिन्न जिलों में आयोजित कर रही है।